दहेज और कानून

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

यह निर्मला की कहानी है। निर्मला हमारे समाज की एक लड़की है। कहा जाता है कि हमारी परम्परा है कि माँ-बाप के कहने के अनुसार बेटी को शादी के लिये राजी हो जाना चाहिये। निर्मला पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहती थी, पर उसने माता-पिता का कहना माना। 'परम्परा' के अनुसार, शादी में लड़के वाले दहेज माँगते हैं। निर्मला की शादी में भी उसके होने वाले सास-ससुर ने दहेज माँगा-एक फ्रिज, दो पंखे, घर का बहुत सारा सामान, दस तोले सोना और 50,000/- रूपये नकद। निर्मला के माता-पिता ने बहुत कठिनाई से, रिश्तेदारों से उधार लेकर घर को गिरवी रखकर यह सारा सामान लड़की को दहेज में दिया।

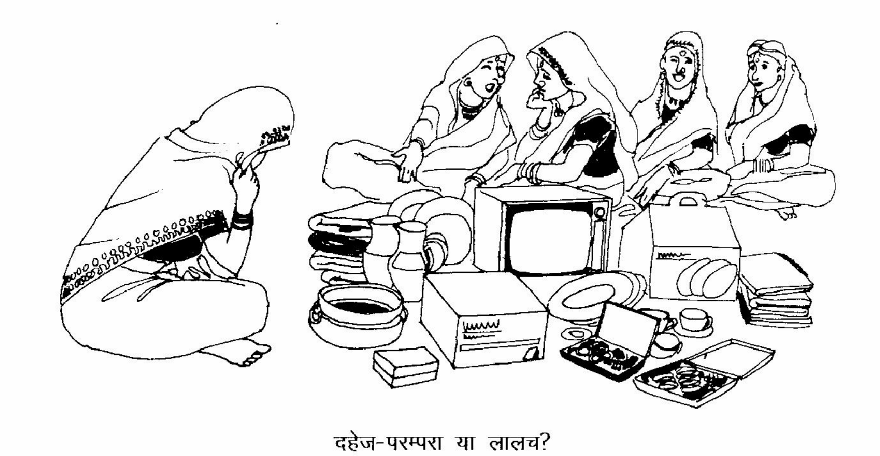

दहेज-परम्परा या लालच?

क्या करते ? 'परम्परा' जो ठहरी।

परम्परा के अनुसार, निर्मला की डोली माता-पिता के घर से निकली। परम्परा यह भी है कि 'मायके से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी ही निकलती है।' हम सब परम्परा के पुजारी हैं। निर्मला की भी अर्थी उसके ससुराल से निकली, शादी के आठ महीनों बाद। इन आठ महीनों में निर्मला को और दहेज लाने के लिये इतना सताया गया था, कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। निर्मला की कहानी यहाँ खत्म हो गई। परम्परा घर-घर में चलती रही। इसी तरह शान्ति की कहानी, नफीसा की कहानी, लक्ष्मी और

मंजीत की कहानी भी खत्म हो गई। उनके माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार परम्परा से चेहरे ढक कर रोते रहे। यही हमारी परम्परा है - लड़कियों के लिये अर्थियाँ खरीदना।

सब यही कहते हैं - हम कर ही क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ऐसी घिनौनी परम्परा को उठा कर फेंक देना चाहिये।

कष्ट देने वाली, यह दहेज की घिनौनी परम्परा हमारे समाज से हम ही निकाल सकते हैं। सरकार ने हमारे हाथ मज़बूत करने के लिये, हमारी सहायता के लिए कुछ खास कानून बनाये हैं। एक ऐसे कानून का नाम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961।

दहेज क्या है ?

दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के लिए, विवाह के पूर्व या बाद या विवाह के समय कोई सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति (Valuable Security) जो सीधे या परोक्ष रूप से विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या किसी भी पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति का सीधे या परोक्ष रूप से दी जाए, वह "दहेज" कहलाती है। किन्तु इस परिभाषा में मुस्लिम कानून (शरीयत) के अन्तर्गत देय मेहर (Dower) नहीं आता है। इस परिभाषा के अन्तर्गत ऐसा कोई उपहार भी जो विवाह करने के एवज (Consideration) के रूप में नहीं दिया गया है, दहेज नहीं होता। नवविवाहिता वधू को स्त्रीधन के रूप में दिया गया उपहार भी दहेज की परिभाषा में नहीं आता।

आईये देखें हम इस कानून की किस तरह सहायता ले सकते है।

यह कानून कहता है :

- दहेज देना अपराध है
- दहेज लेना अपराध है

दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं।

- दहेज लेने या देने में सहायता करना अपराध है

आमतौर से शादी के रिश्ते किसी बिचोलिये या रिश्तेदार की सहायता से तय किये जाते हैं। यह दलाल या वह रिश्तेदार दहेज की रकम तय करवाता है। कानून की नज़र में, ऐसे लोग भी अपराधी हैं। उन्हें भी वही सज़ा भुगतनी होगी जो दहेज लेने या देने वाले की है।

दहेज के लेन-देन में सहायता करना भी अपराध है।

• दहेज माँगना भी अपराध है

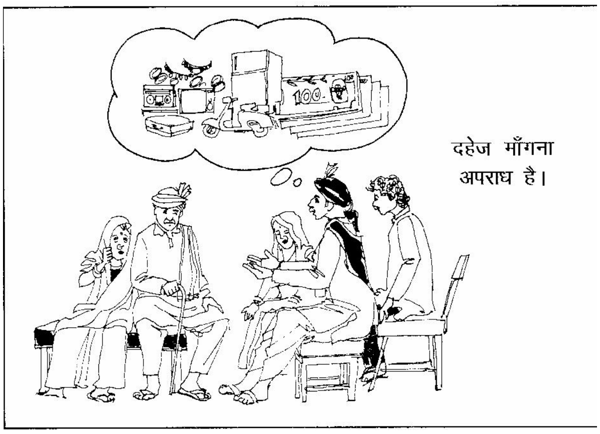

दहेज के लालच को कानून कड़ी नज़र से देखता है। इसीलिये, दहेज माँगने वाले को भी सज़ा दी जाती है। शादी के पहले भी दहेज की माँग की रपट लिखवाई जा सकती है। दहेज माँगने वालों की उसी समय पुलिस में रपट लिखवाकर, समाज को इन लालची शिकारियों से बचाएँ।

• दहेज के लिये विज्ञापन या इश्तेहार देना भी कानूनी अपराध है।

अक्सर लोग शादी के रिश्ते के लिये अखबारों में विज्ञापन देते हैं। लड़के के गुणों, आमदनी इत्यादि के साथ-साथ दहेज की माँग भी बताई जाती है। कानून के अनुसार, ऐसा विज्ञापन देने वाले को भी सजा और जुर्माना होगा। लड़की वाले भी कभी-कभी ढोल पिटवाते हैं कि फलां-पलां की लड़की से शादी करने वाले को दहेज में इतनी रकम या जायदाद दी जायेगी। ऐसा करना भी कानूनी अपराध है जिसकी सज़ा कैद और जुर्माना है।

प्रेमलाल ने शान्ता से शादी के समय दहेज लिया। शादी के बाद वह उसको और दहेज के लिए सताने लगा। जब शान्ता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तब प्रेमलाल ने कहा कि वह दहेज लेने का आरोपी नहीं है और शान्ता उसकी पत्नी ही नहीं है क्योंकि उसकी एक और पत्नी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार चाहे उसकी शादी अवैध है मगर प्रेमलाल ने दहेज लेने का अपराध किया है। शान्ता के पिता ने प्रेमलाल को पैसे दिये क्योंकि वह शान्ता का पति है। चाहे शादी अवैध है किसी भी कारण, दहेज का अपराध फिर भी किया है।

दहेज के लिए विज्ञापन देना अपराध है।

- अगर कोइ अपनी या अपने लड़के या लड़की या रिश्तेदार की शादी म दहेज ले तो वह कानूनी अपराध करता है।
- यही नहीं, दहेज देने वाला भी कानून की नजर में अपराधी ठहराया जायेगा।

दहेज देने या लेने वाले के लिये सज़ा :

- पाँच साल तक की कैद
- पन्द्रह हजार रूपये जुर्माना या
- दहेज की रकम अगर 15,000/- रूपये से ज्यादा हो, तो उस रकम के बराबर जुर्माना

रामलाल ने अपने बेटे मोहन की शादी में श्यामलाल से पच्चीस हजार रूपये दहेज के रूप में माँगे। श्यामलाल ने पच्चीस हजार रूपये दे दिए लेकिन उसकी बेटी सुनीता इस बात से खुश नहीं थी और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। रामलाल को सजा के साथ-साथ दहेज की रकम जो कि पच्चीस हजार रूपये थी जुर्माने में देनी पड़ी।

दहेज माँगने की सजा :

- कम से कम 6 महीने की कैद और जुर्माना
- जुर्माना रूपये 10,000/-

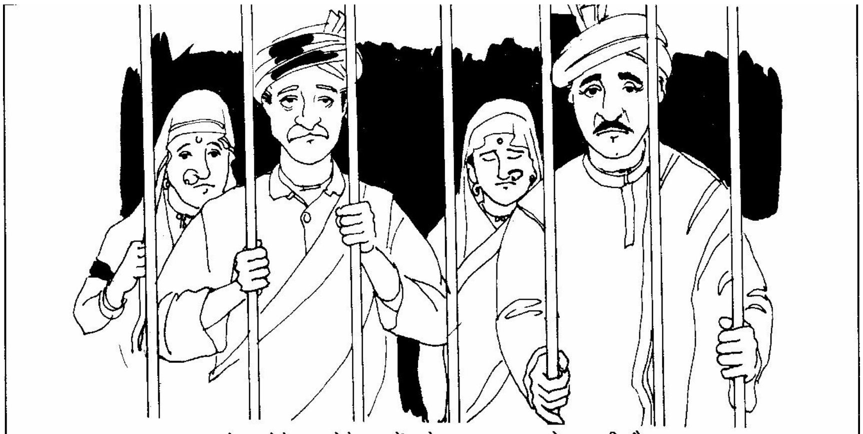

दहेज लेने या देने वालों को सख्त सजा हो सकती है।

दहेज का विज्ञापन देने की सज़ा :

- कम से कम 6 महीने की कैद और

- 15,000/- रू. तक का जुर्माना

तो क्या इसका मतलब है कि लड़की या लड़के को शादी-ब्याह में कोई कुछ नहीं दे सकता? जो लोग बिना दबाव के अपनी खुशी से वर-वधू को कुछ देना चाहें, क्या वे सब भी अपराधी हैं?

नहीं! कानून यह जरूर कहता है कि दहेज में वे सभी चीजें आती हैं जो शादी के सिलसिले में वर-वधू या उनके रिश्तेदारों को दी जायें। लेकिन, यह दहेज कानून के मुताबिक दिया गया हो, तो वह अपराध नहीं होगा। यानिः

- दिये गये उपहारों की एक सूची (लिस्ट) बनानी होगी।

- इन उपहारों की माँग न हुई हो, न ही उनके लिये कोई दबाव डाला गया हो।

- वधू को दिये जाने वाला उपहार पारम्परिक तौर के होने चाहियें। उनकी कीमत देने वाले की हैसियत या आर्थिक स्थिति के हिसाब से होनी चाहिए।

कानून के मुताबिक

- अगर दहेज शादी के पहले लिया गया हो, तो शादी की तारीख से तीन महीने के अन्दर दहेज लड़की को देना होगा।

- अगर दहेज शादी के समय या शादी के बाद लिया गया हो, तो लेने की तारीख से तीन महीने के अन्दर लड़की को दे देना चाहिये।

- अगर दहेज तब लिया गया हो जब लड़की नाबालिक थी (यानि 18 साल से कम उम्र की) तो 18 साल की उम्र की होने के तीन महीने के अन्दर दहेज उसे दे दिया जाना चाहिये।

- जब तक दहेज लड़की के अलावा किसी और के पास होता है, तब तक वह उस व्यक्ति के 'ट्रस्ट' में होता है। इसका मतलब है, कि उस व्यक्ति की जिम्मदारी होती है कि दहेज के सामान या रकम को सही सलामत रखा जाए ओर सही समय आने पर लड़की को लौटा दिया जाए। जो लड़की की तरफ से दहेज लेता है, उसे कोई हक नहीं है कि वह दहेज को बेचे, खर्च करे, किसी को दे या खुद इस्तेमाल करे।

- अगर कोई व्यक्ति कानून द्वारा तय किये गये समय में दहेज लड़की को नहीं लौटाता, तो उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिये। दहेज न लौटाने वालों को छः महीने से दो साल तक की जेल या पाँच से दस हजार रूपये तक जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं।

- अगर ऐसे व्यक्ति से दहेज मिलने से पहले उस लड़की या औरत की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाये, तो ऐसे में महिला के वारिस होंगे - उसके बेटा/बेटी या फिर उसके माता पिता। उसके वारिस उस व्यक्ति से दहेज मांग सकते हैं जिसके पास दहेज रखा है।

स्त्रीधन

जो भी सामान, जायदाद या सम्पति लड़की को उसके दहेज में दी जाती है वह उसका स्त्रीधन है।

दहेज लड़की की अपनी अमानत होती है। वह उसके स्त्रीधन में शामिल है। वह जो चाहे, उससे कर सकती है। उस पर उसके अलावा किसी और का हक नहीं होता। अक्सर होता तो ऐसा है कि जो भी सामान, सम्पति या रकम लड़की की शादी में दी जाती है, वह उसके पति, सास-ससुर या दूसरे ससुराल वालों के हाथ में दे दी जाती है। लेकिन उस सारे सामान या सम्पति पर उस लड़की का ही हक रहता है। लड़की के अलावा अगर कोई और वह सामान लेता है तो उसे लड़की को लौटाना कानूनन आवयश्यक है। यही नहीं दहेज लड़की को कानून द्वारा तय किये हुए समय के अन्दर लौटाना होगा।

शादी के समय मिले उपहारों की सूची बनाना कानूनन आवश्यक है।

- दिये गये उपहारों की दो सूचियाँ बनेंगी।
- वधू को दिये गये उपहारों की सूची वधू को रखनी होगी।
- वर को दिये गये उपहारों की सूची वर को रखनी होगी।
- यह सूची शादी के समय या शादी के बाद जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिये।
- यह सूची लिखित होनी चाहिये।
- इस सूची में हर उपहार का संक्षेप में विवरण होना चाहिये।
- उपहार की लगभग कीमत लिखी होनी चाहिये।
- उपहार देने वाले का नाम होना चाहिये।

- उपहार देने वाला या वधू का रिश्तेदार हो, तो क्या रिश्तेदारी है, यह लिखा होना चाहिये।

- सूची पर वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

- वर या वधू हस्ताक्षर न कर सकते हों, तो सूची उनको पढ़कर सुनाए जाने के बाद, उनके अंगूठों के निशान उस पर लगवाए जाने चाहिए।

- वर-वधू यदि चाहें, तो शादी के समय उपस्थित किसी भी रिश्तेदार या दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर सूची पर करवा सकते हैं।

दहेज से संबंधित अपराधों की शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है?

- कोई पुलिस अफसर

- कोई व्यक्ति जो दहेज से पीड़ित हो

- किसी दहेज से पीड़ित व्यक्ति के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार

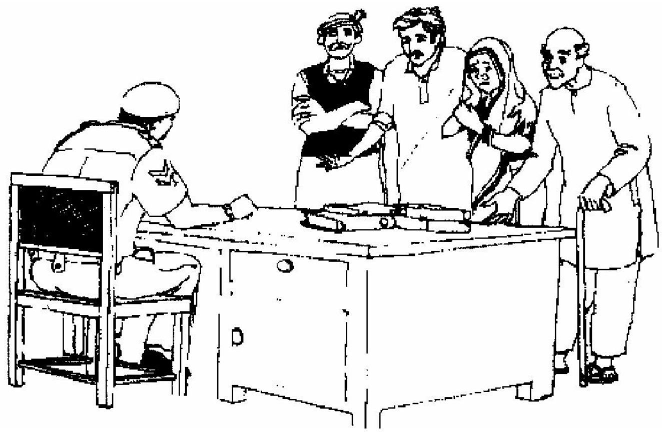

- सरकार द्वारा मान्य कोई समाज-सेवी संस्था

- कोर्ट को किसी मामले की खबर हो, तो खुद मुकद्दमा दर्ज कर सकते हैं

दहेज की रपट लिखवाने की या मुकदमा चलाने के लिये कोई समय-सीमा नहीं है। लेकिन यह रपट जल्द से जल्द लिखवानी चाहिये।

दहेज से संबंधित अपराधः

- संज्ञेय हैं : यानि, थाने में शिकायत होने पर पुलिस मामले की तहकीकात कर सकती है-मैजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी नहीं है। हाँ, किसी को इस संबंध में गिरफ्तार करने के लिये मैजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है।

- अजमानती हैं : यानि, मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अपराधी को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता।

- असमाध्य हैं : यानि, कोई जुर्माना भरने पर अपराधी कैद की सजा से नहीं छूट सकता।

– कुछ मामलों में साक्ष्य अभिभार (Burden of Proof)

सामान्यतया आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि का अधिकार अभियोजन पर रहता है किन्तु इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अन्तर्गत दहेज लेने तथा उसको अभिप्रेरित करने वालों या दहेज की मांग करने वालों के अपराधिक मामलों में साक्ष्य अभिभार अभियुक्त पर होता है कि वह सिद्ध करें कि उसके द्वारा अपराध नहीं किया गया है। दहेज देने वाले या देने के लिए अभिप्रेरित करने वालों के दाण्डिक मामलों में साक्ष्य अभिभार अभियोजन पर ही बना रहता है।

इस कानून को बने बयालीस साल हो गये परन्तु दहेज का मर्ज फैलता ही जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल कानून बनाना काफी नहीं है। उस कानून के जरिये हमें कदम उठाने होंगे।

यह तो हो गई शादी तक की बात। लेकिन अक्सर यह होता है कि दहेज के लिये लड़की को सताना, उस पर जुल्म करना, उसे मारना, पीटना, ताने देना, यहां तक की जान से भी मार डालना, सब शादी हो जाने के बाद

होता है। कई लड़कियां यह सलूक सहन नहीं कर पाती, और आत्महत्या कर लेती हैं। इसलिये ऐसी स्थितियों के लिये, फौजदारी कानूनों में कुछ खास प्रबन्ध किये गये हैं, जिनसे दहेज के लिय लड़कियों को तंग करने वाले अपराधियों को सजा दी जाये। यह प्रबन्ध इन कानूनों में किया गया है:

- **भारतीय दंड संहिता, 1860** : यह कानून हमें बताता है कि कौन-कौन सी चीजें अपराध हैं और उनके लिये दंड क्या हैं ?

- **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973** : यह कानून हमें बताता है कि किसी अपराध की छानबीन इत्यादि कैसे की जाती है।

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** : यह कानून हमें बताता है कि किसी अपराध को साबित करने के लिये कौन सी बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

(धारा 498-क) भारतीय दंड संहिता-1860 क्या कहती है?

यदि किसी महिला का पति या पति के रिश्तेदार

- उस महिला के साथ बुरा व्यवहार करें।

- या फिर महिला या उसके रिश्तेदार या सम्बन्धी को धन या सम्पति लाने के लिये परेशान किया जाये।

तो धारा 498-क के तहत यह क्रूरता कहलाती है।

किसी भी महिला के साथ क्रूर व्यवहार करना जुर्म है।

इस धारा के तहत क्रूरता के दो रूप हैं:

- शारीरिक क्रूरता या

- मानसिक क्रूरता

- या फिर दोनों

शारीरिक क्रूरता का मतलब हैः

इस कदर जानबूझकर महिला को मारना या सताना किः

- उसकी जान को खतरा हो,
- उसके शरीर के अंगों को या
- उसके शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो

तो यह उस महिला पर की गई शारीरिक क्रूरता कहलायेगी।

मुकेश और मानसी की शादी को तीन साल हो गये थे। शादी के बाद पहले ही दिन मुकेश ने मानसी को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। फिर तो यह एक आम घटना सी हो गई। मुकेश ने जलते हुये सिगरेट से जगह-जगह मानसी के शरीर पर दाग बना दिये थे। आखिर तंग आकर मानसी ने पति के खिलाफ शारीरिक क्रूरता करने के आरोप में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।

मानसिक क्रूरता का मतलब हैः

- महिला को कमरे में बंद रखना, खाना-पानी बंद करना, उसे अपने परिवार वालों से न मिलने देना या
- महिला को काली या बदसूरत कहकर बुलाना।
- रामू की शादी रीता से हुई। सुंदर न होने के कारण राहुल अक्सर उसे बदसूरत कहकर बुलाता था और धमकी देता था कि वह दूसरी शादी कर लेगा। यह भी मानसिक क्रूरता है।
- गाली गलौच करना।
- अगर पति-पत्नी से बिना किसी कारण के शारीरिक संबंध बनाने से इन्कार कर देता हे।
- अगर पति या उसके रिश्तेदार ऐसा व्यवहार करें जिससे औरत आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाये।

- महिला या उसके रिश्तेदार या संबंधी को धन या सम्पति लाने या देने के लिए परेशान किया जाये।

तो यह मानसिक क्रूरता का अपराध माना जायेगा।

रमेश और कमला की शादी को एक साल हुआ था। दहेज न देने के कारण रमेश उसे बहुत तंग करता था। कमला को उसके परिवार वालों से मिलने नहीं देता था। उसे कमरे में बंद रखता था और खाना भी नहीं देता था। यह मानसिक क्रूरता है।

महिला पर क्रूरता करने की क्या सजा है?

- तीन साल की कैद ओर
- जुर्माना

शादीशुदा औरत से क्रूर व्यवहार की शिकायत थाने में कौन लिखवा सकता है?

- लड़की खुद
- लड़की के पिता
- लड़की की माता
- लड़की का भाई
- लड़की की बहन
- लड़की की बुआ/फूफी
- लड़की की मौसी
- कोई और रिश्तेदार जिसका लड़की से खून का रिश्ता हो, शादी के जरिये रिश्ता हो, या गोद का रिश्ता हो, ये लोग सिर्फ कोर्ट की इजाजत से रपट लिखवा सकते हैं।

(198-A, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

दहेज हत्या

दहेज हत्या किसे कहते हैं?

धारा 304–ख दहेज हत्या के संबंध में बात करती है।

यदि किसी भी महिला की शादी के सात साल के अन्दर असाधारण मौत हो जाती है (जैसे जलकर, फांसी लगाकर या फिर वह आत्महत्या कर लेती है) और मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिये तंग किया जा रहा था तो यह दहेज हत्या होगी। ऐसा माना जायेगा कि उसके पति या उसके रिश्तेदार ने उसकी हत्या की है।

(धारा 304-ख, भारतीय दंड संहिता, 1860)

याद रखिये :

दहेज हत्या मानने के लिये तीन चीजा का पूरा होना जरूरी है :

- मृत्यु के पहल लड़की स दहेज की मांग की गई थी ओर उस उसके लिये तंग किया जा रहा था
- उसकी मृत्यु शादी के सात साल के अन्दर हो गई।
- वह एक असाधारण मौत थी।

अक्सर दहेज हत्या के मामलों में देखा जाता है कि मृतका की लाश को पंचनामा और पोस्टमार्टम कराए बगैर जला दिया जाता है ओर सभी सबूत नष्ट कर दिये जाते हैं। यह कानूनी अपराध है और इसके लिए अपराधी को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते है।

(धारा 201 भारतीय दंड संहिता, 1860)

दहेज हत्या के दोषी की सजाः

जो भी दहेज हत्या का दोषी साबित होगा उसेः

- कम से कम दस साल तक की कैद या

- फिर उम्र कैद होगी।

दहेज हत्या की कार्यवाही कैसे होगी

अगर कोई औरत आत्महत्या करती है, या ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति है, तो आपको तुरन्त पुलिस में एफ. आई.आर. दर्ज करानी चाहिए। यह खबर मिलने पर पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी (एस.एच.ओ.) को ये कदम उठाने होंगेः

- नजदीकी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को तुरन्त उसकी सूचना देनी होगी।
- पुलिस अफसर मृत्यु के कारणों की समीक्षा करेंगे।
- यह समीक्षा करने के लिये अफसर खुद वहां जायेंगे जहां मरी हुई औरत का शरीर रखा है।

- घटना के स्थान पर मोहल्ले के दो जाने-माने व्यक्तियों के सामने जांच करके एक रपट बनानी होगी।
- रपट में मृत्यु का कारण, क्या प्रतीत होता है, घाव किस तरह के हैं, वगैरह, ये सब बातें होनी चाहिए।
- रपट पर पुलिस अफसर को और अन्य लोगों को हस्ताक्षर करने होंगे।
- फिर वह रपट जिलाधीश (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) या उप जिलाधीश (सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट) को भेजनी होगी।

- लाश अवश्य ही सिविल सर्जन (डॉक्टर) के पास जांच के लिये भेजनी होगी।

(धारा 174, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

- अगर पुलिस कोई कदम लेने या फिर सुनने से इंकार कर दे तो आप तुरंत उनके उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करें।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-(क) तथा 113-(ख) में संशोधन न्यायालयों को शक्ति दी गई है कि विवाह के सात वर्ष के अन्दर स्त्री द्वारा आत्म हत्या करने या दहेज-मृत्यु के मामलों में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध करने की अवधारणा कर सके जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो। धारा 113-(क) तथा 113-(ख) नीचे उद्धत हैः-

113-(क) किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा- जब प्रश्न यह हो कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया हो कि उसने अपने विवाह की तारीख के सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क में है।

113-(ख)- दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा- जब प्रश्न यह हो कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज-मृत्यु कारित की है तो यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज-मृत्यु" का वही अर्थ है,जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-ख में हैं।